

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश  
पंचम तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

संख्या-6618/प्र0सु0अनु0-1

दिनांक-3-3-2016

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,  
आदर्श कारागार, लखनऊ

विषय- मॉ वैष्णो देवी लॉ कालेज के छात्रों को भ्रमण कराये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राचार्य मॉ वैष्णो देवी लॉ कालेज, जुगौर नियर इंदिरा कैनल, फैजाबाद रोड, लखनऊ के पत्र संख्या-एमवीडीईएलसी/018/2016, दिनांक 25.02.2016 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कालेज में अध्ययनरत् 30 से 40 छात्रों को भ्रमण कराये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः डा0 अरेन्दु द्विवेदी, प्राचार्य, लॉ कालेज द्वारा 30 से 40 छात्रों को आदर्श कारागार, लखनऊ में भ्रमण कराये जाने की अनुमति महानिरीक्षक कारागार द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

- 1- भ्रमण के समय भ्रमणकर्ता द्वारा अपना परिचयपत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - 2- भ्रमण कार्य किसी उप कारापाल की निगरानी में कराया जाये।
  - 3- भ्रमण हेतु नियमों/विनियमों का पूर्ण ध्यान रखा जाये।
  - 4- भ्रमण में कारागार की प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।
- उपरोक्त निर्धारित शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये ही भ्रमण कार्य कराया जाये।

भवदीय,

*ase*  
(के0बी0 जोशी)

शोध अधिकारी,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,  
उत्तर प्रदेश।

पृ0 सं0-6618 (1) / प्र0सु0अनु0-1

तददिनांकित 3-3-2016

डा0 अरेन्दु द्विवेदी, प्राचार्य, मॉ वैष्णो देवी, लॉ कालेज, जुगौर नियर इंदिरा कैनल फैजाबाद रोड, लखनऊ को पत्र दिनांक 25.3.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*ase*  
(के0बी0 जोशी)

शोध अधिकारी,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,  
उत्तर प्रदेश।